

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के औसत अंक 400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(400-216)

..... X5750= ₹0-4898/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹0 में	दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक	
				दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10275	4898	10648	410
2	अर्धकुशल	6325	11303	5388	11713	451
3	कुशल	7085	12661	6035	13120	505

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	पथेरा	₹0-365	₹0-311	रूपया-676/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	₹0-110	₹0-94	रूपया-204/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	₹0-132	₹0-112	रूपया-244/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	₹0-110	₹0-94	रूपया-204/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाने कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉय तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अनियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सिकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तन्हाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 चिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्पेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ेक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का धूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिअधर) बल्ब एवं काँच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट मट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बूहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क संचालकों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निश्चित किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एलपीजी/किडरिंग एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सिज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 चिकित्सा संवर्धन(चिकित्सा संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलाओं) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आईटी/इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कुले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 1784-90 प्रवर्तन-(एम०डब्ल्यू०)/15

दिनांक: 16/05/2024

- 1 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू मदन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूधनार्थ प्रेषित।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉंगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)/भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 4 उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- 5 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालय/ग्रन्थ, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कुले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाजा सं०-778/36-3-2011 दिनांक: 18-08-2011 तथा शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या-1778/36-3-2011 दिनांक: 30-10-2011 द्वारा कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के औसत अंक 400 अंको पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 4300/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
(400-181)

..... X4300= रू०-5203/-प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत है:-

कर्मोंक	श्रेणियाँ	प्रतिमाह मजदूरी रूपये में	दिनांक 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में	दिनांक 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक	
					दिनांक 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी दरें (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4300.00	9170	5203	9503	366
2	अर्द्ध-कुशल	4900.00	10450	5929	10829	417
3	कुशल	5450.00	11623	6594	12044	463
4	सारवाला	11150.00	23778	1341	24641	948
5	बेलनिया	7800.00	16634	9438	17238	663
6	पर्यवेक्षक	7550.00	16101	9135	16885	642

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 191-97 प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/15

दिनांक: 16/05/2024

प्रतिलिपि

- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिसासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

16.5.2024

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं०-801/36-3-2013-79(न्यू0वे0)/07 दिनांक: 25-07-2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंकों के ऊपर प्रश्नगत वर्ष के जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 माह के औसत अंक 400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 4500.00/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-400 पर दिनांक: 11-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(400-181)

..... X4500= रू०-5445/-प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

कर्मोंक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियों	वर्तमान में संशोधित श्रेणियों	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक	
					दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रूपये में) (4+6)	दैनिक मजदूरी दरें (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	9597	5445	9945	382
2	अर्द्ध-कुशल	अर्द्ध-कुशल	5000.00	10663	6050	11050	425
3	कुशल-क	कुशल	5400.00	11516	6534	11934	459
4	कुशल-ख	कुशल	5300.00	11303	6413	11713	450
5	कुशल-ग	कुशल	5200.00	11090	6292	11492	442
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	11729	6655	12155	467
7	लिपिक-1	कुशल	5400.00	11516	6534	11934	459
8	लिपिक-2	कुशल	5100.00	10876	6171	11271	433

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 198-24 प्रवर्तन-(एम०डब्ल्यू०)/15

दिनांक: 16/05/2024

प्रतिलिपि

- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मींगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिसूची निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

16.5.2024

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाजा सं०-1139/36-1-13-11(सा०)/05 दिनांक: 30-08-2013 तथा सपटित शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या-1535/36-11(सा०)/05, दिनांक: 21-11-2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 अंक के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 तक के औसत अंक 1246 अंको पर दिनांक: 1-04-2024 से दिनांक: 30-9-2024 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्त:-रुपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1246 पर दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(1246-676)

X 4550=3836 प्रतिमाह

676

कर्मोंक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	दिनांक: 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रुपये में	दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक	दैनिकमजदूरी दरें,(रुपये में) (1/26)
				दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रुपये में) (3+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	8016	3836	8386	323
2	अर्द्ध-कुशल	5200.00	9162	4384	9584	369
3	कुशल-क	6200.00	10923	4723	11427	439

अधिसूचना संख्या-1130/छत्तीस-1-13-11(सा०)/05 दिनांक: 30 अगस्त 2013 के बिन्दु- 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यों के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक: से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगी। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांक: 30 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2024 तक निम्न प्रकार है:-

कर्मोंक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक: 30 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2024 तक देय मात्रानुपाती दरें।
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	163 रुपये प्रति हजार
2	चिट लगाने का कार्य में	16 प्रति हजार बीड़ी
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोडा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रुपया 376
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रुपया 385
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रुपया 433
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रुपया 497
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रुपया 580
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रुपया 700
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रुपया 779

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।


कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 205-211 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक: 16/05/2023

प्रतिलिपि

- 1 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मोंगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।


16.5.2024

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।